राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2024/467

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	284/24	18/12/24		9/1/25 14/1/25 16/1/25 28/1/25

निर्णित 28/1/25

अनवान

श्री नारायणी बाई पत्नी कैलाशचन्द्र श्री शम्भू पुत्र देराम मेघवाल

निवासी बिजौलिया निवासी चैनपुरिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी /अपीलान्ट अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी/ रेस्पोडेन्ट

डिक्रीदार मदयून

श्री रामफूल धाकड़ श्री ....

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियां

नारायणी बाई बनाम राज्य

किस्म मुकदमा 111-128 नम्बर 284/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/12/2024	प्रार्थना पत्र रीगे से वाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 07/01/2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	तामील प्राप्त
15/1/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं! प्रात्रावली दिनांक 16/1/25 को वास्ते उ. आ। पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
16/1/25	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O सा. दौरे पर हैं! प्रात्रावली दिनांक 28/1/25 को वास्ते उ. आ। पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
28/1/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी की बाद तामील प्राप्त, विपक्षी बाद सूचना अनुपस्थित। विपक्षी के विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। तहसीलदार बिजौलिया को पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :– 289/24

तारीख 18/12/24

नारायणीबाई पत्नि कैलाश चन्द्र जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

...........प्रार्थीया

बनाम

01. शंभू पुत्र देराम जाति मेघवाल उम्र वयरक पेशा कृषि निवासी चैनपुरिया बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. रामपाल पुत्र रामा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. भवंरलाल पुत्र देराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. सूरजमल पुत्र भूरालाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

...........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट

–: आदेश :– दिनांक: 28/01/2

प्रार्थना पत्र **मैं नारायणीबाई पत्नि कैलाश चन्द्र जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)** ने जरिये अभिभाषक **श्री रामफूल धाकड** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते **मौजा चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में स्थित खाता संख्या 95 पर अंकित आराजी संख्या 629/4, 642/4, 643/4 कुल किता 03 रकबा 1.2949 हैक्टेयर भूमि** पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक **बिजौलियां कलां** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फिस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में स्थित खाता संख्या 95 पर अंकित आराजी संख्या 629/4, 642/4, 643/4 कुल किता 03 रकबा 1.2949 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ोसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या – 284/24 तारीख 18/12/24

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या ....284/ 2024 पत्थरगढ़ी बाबत्।

नारायणीबाई पत्नि कैलाश चन्द्र जाति खटीक उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)

............प्रार्थीया

बनाम

01. शंभू पुत्र देराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चैनपुरिया बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
02. रामपाल पुत्र रामा जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चैनपुरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज.)
03. भवंरलाल पुत्र देराम जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चैनपरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
04. सूरजमल पुत्र भूरालाल जाति मेघवाल उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी चैनपरिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

............विपक्षी

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि **मौजा चैनपुरिया पटवार हल्का लक्ष्मीखेड़ा में स्थित खाता संख्या 95 पर अंकित आराजी संख्या 629/4, 642/4, 643/4 कुल किता 03 रकबा 1.2949 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षकर **बिजौलियां कलां** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमीश्नर फीस वक्त मौका प्रार्थीगण अदा करे। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडोसियान को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें। पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

(मुहर: न्यायालय उप खण्ड अधिकारी • बिजौलियाँ जिला–भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा